

[2014] 8 एस. सी. आर 1149

भारत संघ एवं एक अन्य

बनाम

अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से जय किशुन सिंह (मृत) एवं अन्य

(2008 की दीवानी अपील सं. 6651)

10 सितंबर, 2014

[श्री विक्रमजीत सेन एवं श्री अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति गण]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1980:

आयु का निर्धारण - स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को इस आधार पर रद्द करना कि उत्तरदाता संख्या 1 ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था क्योंकि वह वर्ष 1942 में 7-8 वर्ष का बच्चा था - अभिनिर्धारित: 1975 की मतदाता सूची के अनुसार, दावेदार की आयु 42 वर्ष थी - उक्त दस्तावेज पर विचार करते हुए, 1942 में आयु 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम रही होगी - ऐसी आयु में, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना अत्यधिक असंभव है, ऐसे में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पेंशन को रद्द करना बिल्कुल भी अनुचित नहीं कहा जा सकता।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान के सम्मान में ऋणी राष्ट्र द्वारा दी जाने वाली कृतज्ञता का एक रूप है - ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि लंबे समय के बाद, साक्ष्य के अभाव में, योग्य व्यक्ति अपने लाभ से वंचित न रहें - ऐसे मामलों का निर्णय संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर किया जाना चाहिए और उचित संदेह से परे प्रमाण के मानक को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

साक्ष्य:

दस्तावेजी साक्ष्य - अभिनिर्धारित: मौखिक साक्ष्य पर इसे प्राथमिकता देनी होगी।

चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयु का निर्धारण - साक्ष्य मूल्य - अभिनिर्धारित: विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह केवल शारीरिक उपस्थिति पर आधारित है और किसी भी वैज्ञानिक

चिकित्सा परीक्षण जैसे कि अस्थिकरण परीक्षण और रेडियोलॉजिकल परीक्षा पर आधारित नहीं है - जब यह ऐसे वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित होता है, तो यह मजबूत पुष्टि मूल्य का होता है - वर्तमान मामले में, चिकित्सा बोर्ड ने दावेदार की शारीरिक उपस्थिति के आधार पर लगभग 73 वर्ष की आयु की राय दी - क्योंकि यह वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मूल उत्तरदाता संख्या 1 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का प्राप्तकर्ता था। उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेने के बावजूद स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत लाभ प्राप्त करने की शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जाँच का निर्देश दिया। मामले की जाँच करने वाले उप-समाहर्ता ने मृतक उत्तरदाता संख्या 1 के दावे को गलत पाया और सक्षम प्राधिकारी ने पेंशन को उसके आरंभिक अनुमोदन की तिथि से रद्द करने और उसके द्वारा पहले प्राप्त की जा चुकी पेंशन राशि की वसूली का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी के उक्त आदेश को अभिखंडित कर दिया।

वर्तमान अपील में, मुद्दा 15 अगस्त, 1942 को मृतक उत्तरदाता संख्या 1 की अनुमानित आयु के निर्धारण से संबंधित था। उनका दावा था कि 14 अगस्त, 1942 से 15 अगस्त, 1943 तक एक वर्ष के लिए भूमिगत रहने के समय उनकी आयु 13 वर्ष थी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. जाँच अधिकारी ने मौखिक बयान दर्ज किया जिसमें बताया गया कि उसकी उम्र बहुत कम थी। इस बयान को खारिज किया जाता है क्योंकि मौखिक बयान किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का सुरक्षित मानदंड नहीं हो सकता। हालाँकि, मतदाता सूची और बयान-पत्र के रूप में वर्ष 1975 और 1977 के दस्तावेजी साक्ष्यों ने इस मुद्दे को पुष्ट किया और यह स्थापित किया कि दावा वास्तविक नहीं था। दस्तावेजी साक्ष्य को ही मान्य होना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि उक्त समय पर उम्र को लेकर कोई विवाद नहीं था। आपराधिक मामले के बयान-पत्र के अनुसार, 1977 में उम्र लगभग 40 वर्ष थी। यदि उक्त तिथि को सही माना जाए, तो जन्म तिथि वर्ष 1937 होगी। 1975 की मतदाता सूची के अनुसार, उसकी आयु 42 वर्ष थी। उक्त दस्तावेजों पर विचार करने पर, 1942 में उसकी आयु 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम रही होगी। ऐसी उम्र में, विचाराधीन घटना में भागीदारी अत्यधिक असंभव है क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए

पेंशन को रद्द करना बिल्कुल भी अनुचित नहीं कहा जा सकता। [कंडिका 8] [1154-एफ-एच; 1155-ए]

2. स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान के सम्मान में ऋणी राष्ट्र द्वारा दी गई कृतज्ञता का एक रूप है। ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि लंबे समय के बाद, साक्ष्य के अभाव में, योग्य व्यक्ति अपने लाभ से वंचित न रह जाँ। ऐसे मामलों का निर्णय संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर किया जाना चाहिए और उचित संदेह से परे प्रमाण के मानक को लागू नहीं किया जाना चाहिए। [कंडिका 9] [1155-बी, सी]

गुरदियाल सिंह बनाम भारत संघ (2001) 8 एस. सी. सी. 8 : 2001 (3) पूरक एससीआर 323; *कमलाबाई सिंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* (2012) 11 एससीसी 754: 2012 (6) एस. सी. आर. 1011-संदर्भित।

3. चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयु का निर्धारण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह केवल शारीरिक बनावट पर आधारित है और अस्थिकरण परीक्षण और रेडियोलॉजिकल परीक्षण जैसे किसी वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षण पर आधारित नहीं है। जब यह ऐसे वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित होता है, तो यह मजबूत पुष्टिकारक मूल्य का होता है। चिकित्सा बोर्ड ने 11.4.2002 को शारीरिक बनावट के आधार पर आयु लगभग 73 वर्ष निर्धारित की थी। यह वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से अभिलेख पर मौजूद अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के मद्देनजर। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को अपास्त किया जाता है। चूँकि अपीलकर्ता द्वारा पहली बार में दावा खारिज करने के बाद उत्तरदाता को गलत तरीके से पेंशन की अनुमति दी गई है, उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच का निर्देश दिया है और इस आधार पर पेंशन वापस ले ली गई है, और इस तथ्य पर भी विचार किया है कि पेंशन प्राप्तकर्ता उत्तरदाता संख्या 1 की मृत्यु हो गई है, उसे भुगतान की गई राशि उसके कानूनी प्रतिनिधियों से वसूल नहीं की जाएगी। [कंडिका 11, 13] [1156-ई-एफ; 1158-8-सी]

ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2012) 5 एससीसी 201: 2012 (5) एस. सी. आर. 237; *उडीसा राज्य बनाम विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से चौधरी नायक (मृत) और अन्य* (2010) 8 एससीसी 796: 2010 (10) एस. सी. आर. 615-भरोसा किया

गया।

नजीर संदर्भ:

2001 (3) पूरक एस. सी. आर. 323	संदर्भित	कंडिका 10
2012 (6) एस. सी. आर. 1011	संदर्भित	कंडिका 10
2012 (5) एस. सी. आर. 237	संदर्भित	कंडिका 11
2010 (10) एस. सी. आर. 615	संदर्भित	कंडिका 12

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2008 की दीवानी अपील सं. 6651

एलपीए संख्या 82/2006 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 21.02.2007 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए एस. वसीम ए कादरी, रेखा पांडे (सुषमा सूरी के लिए)।

उत्तरदाताओं के लिए मनु शंकर मिश्रा, निशांत कुमार, मनीष कुमार (गोपाल सिंह के लिए), मृदुल राय भारद्वाज।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति **अरुण मिश्रा** द्वारा सुनाया गया।

1. इस मामले में, न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय करना आवश्यक है कि क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन उत्तरदाता संख्या 1 को अनुचित रूप से दी गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था क्योंकि वह वर्ष 1942 में 7 से 8 वर्ष का बच्चा था।

2. मूल उत्तरदाता संख्या 1 के मामले में, अपीलकर्ता ने 19.06.1995 के पत्र द्वारा ऐसी पेंशन देने से इनकार कर दिया था। हालाँकि, मूल उत्तरदाता संख्या 1 दूसरे प्रयास में पेंशन जारी करवाने में सफल रहा और उसे 28.07.1981 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 26.12.1997 को पेंशन जारी करने का आदेश दिया गया।

3. मामला यहीं शांत नहीं हुआ। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेने के बावजूद स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन

योजना, 1980 (संक्षेप में "योजना") के तहत लाभ प्राप्त करने की व्यापक शिकायतों की स्वतः संज्ञान जाँच का निर्देश दिया। उप-समाहर्ता ने मामले की जाँच की और साक्ष्य दर्ज किए। उन्होंने पाया कि मृतक उत्तरदाता संख्या 1 का दावा वास्तविक नहीं था। इस आधार पर, भारत संघ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसके बाद 19.05.2004 को पेंशन को उसके आरंभिक अनुमोदन की तिथि, अर्थात् 28.07.1981 से रद्द करने और उसके द्वारा पहले से प्राप्त पेंशन की राशि वसूलने का निर्णय लिया।

4. मृतक उत्तरदाता संख्या 1 ने एकल पीठ के समक्ष दायर रिट याचिका में उपरोक्त आदेश को चुनौती देने में असफल रहा। हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील में आदेश को अभिखंडित कर दिया है। इसलिए, भारत संघ हमारे समक्ष अपील में आया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर इस न्यायालय ने 10.11.2008 को रोक लगा दी थी।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि पेंशन वापस लेना सही था। मृतक उत्तरदाता सं. 1 की उम्र 1942 में 7 से 8 साल थी। इस प्रकार, अगस्त 1942 की घटना में उनकी भागीदारी को सही ढंग से अविश्वास किया गया था। वह पूछताछ के दौरान घटना का विवरण भी नहीं दे पाए। खंड पीठ द्वारा 2001 में चिकित्सा बोर्ड द्वारा 73 वर्ष की उम्र के निर्धारण पर भरोसा करना अनुचित था क्योंकि चिकित्सा बोर्ड ने वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किए थे और मूल उत्तरदाता सं. 1 की शारीरिक उपस्थिति के आधार पर राय दी थी। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि मूल उत्तरदाता सं. 1 ने आपराधिक वाद सं. 1018/1974 (विचारण सं. 381/77) में गवाही देते समय 06.06.1977 को अपनी उम्र 40 साल बताई थी। इसके अलावा, 1975 की मतदाता सूची में उनकी उम्र 42 साल बताई गई है। इस प्रकार, 7 से 8 वर्ष की आयु में, यह दावा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।

6. इसके विपरीत, मृतक उत्तरदाता संख्या 1 के कानूनी प्रतिनिधि के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पेंशन 1997 में सही ढंग से स्वीकृत की गई थी। इसके बाद, चिकित्सा बोर्ड के प्रतिवेदन के मद्देनजर, इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं था क्योंकि 1942 में उक्त समय पर आयु 13 वर्ष रही होगी।

7. विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि 15 अगस्त, 1942 को मृतक उत्तरदाता संख्या 1 की अनुमानित आयु क्या थी। उसने दावा किया है कि 14 अगस्त, 1942 से 15 अगस्त,

1943 तक एक वर्ष के लिए भूमिगत रहने के समय उसकी आयु 13 वर्ष थी।

8. जाँच अधिकारी ने मौखिक बयान दर्ज किया जिससे पता चला कि उसकी उम्र बहुत कम थी। हम इस तरह के बयान को खारिज करते हैं क्योंकि मौखिक बयान किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का सुरक्षित मानदंड नहीं हो सकता। हालाँकि, मतदाता सूची और बयान-पत्र के रूप में वर्ष 1975 और 1977 के दस्तावेज़ी साक्ष्य इस मुद्दे को पुष्ट करते हैं और यह स्थापित करते हैं कि दावा वास्तविक नहीं है। दस्तावेज़ी साक्ष्य को ही मान्य होना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि संबंधित समय पर उम्र को लेकर कोई विवाद नहीं था। आपराधिक मामले के बयान-पत्र के अनुसार, 1977 में उम्र लगभग 40 वर्ष थी। यदि उक्त तिथि को सही माना जाए, तो जन्म तिथि वर्ष 1937 होगी। 1975 की मतदाता सूची के अनुसार, उसकी आयु 42 वर्ष थी। उपरोक्त दस्तावेज़ों के आधार पर, 1942 में उनकी आयु 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम रही होगी। ऐसी आयु में, विचाराधीन घटना में उनकी भागीदारी अत्यधिक असंभव है, क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन रद्द करना किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता।

9. स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान के सम्मान में ऋणी राष्ट्र द्वारा दी गई कृतज्ञता का एक रूप है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि लंबे समय के बाद, योग्य व्यक्ति साक्ष्य के अभाव में अपने लाभ से वंचित न रहें। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि ऐसे मामलों का निर्णय संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर किया जाना चाहिए और उचित संदेह से परे प्रमाण के मानक को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

10. *गुरदियाल सिंह बनाम भारत संघ* (2001) 8 एससीसी 8 *कमलाबाई सिंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य* (2012) 11 एससीसी 754 पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है:

“6. अभिलेख में उपलब्ध उपरोक्त सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हम सर्वप्रथम गुरदियाल सिंह बनाम भारत संघ के निर्णय में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहते हैं। निर्णय के कंडिका 7 में; इस न्यायालय ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने के लिए ऐसे दावों पर विचार करने के तरीके पर प्रकाश डाला है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के पति के दावे के संबंध में अपना निष्कर्ष व्यक्त करने से पहले उक्त अंश

का संदर्भ लेना उचित होगा।

7. कंडिका 7 इस प्रकार है: (गुरदियाल सिंह वाद)

"7. ऐसे मामलों में अपेक्षित प्रमाण का मानक वह मानक नहीं है जो किसी आपराधिक मामले में या प्रतिद्वंदी तर्कों या पक्षों के साक्ष्यों के आधार पर निर्णयित मामले में आवश्यक होता है। चूँकि इस योजना का उद्देश्य देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वालों को सम्मान देना और उनके कष्टों को कम करना है, इसलिए इस योजना के अंतर्गत पेंशन चाहने वाले व्यक्ति के मामले के गुण-दोष का निर्धारण करते समय तकनीकी नहीं, बल्कि उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाना है, उन्होंने लगभग आधी सदी पहले देश के लिए कष्ट सहे थे और उन्हें अपने द्वारा झेले गए कारावास के बदले में पुरस्कार मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक बार जब देश ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय ले लिया है, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की जाँच करने का काम सौंपे गए नौकरशाहों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस योजना के उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखें। इस योजना के तहत दावेदारों के मामले का निर्धारण संभावनाओं के आधार पर किया जाना आवश्यक है, न कि 'उचित संदेह से परे' की कसौटी पर। एक बार जब साक्ष्य के आधार पर यह संभावना बन जाती है कि दावेदार ने देश के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास सहा है, तो उसके पक्ष में एक अनुमान लगाना आवश्यक है, जब तक कि उसे ठोस, उचित और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा खंडित न किया जाए।

[जोर दिया गया]

11. हम चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयु निर्धारण पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यह केवल शारीरिक बनावट पर आधारित है और अस्थिकरण परीक्षण और रेडियोलॉजिकल परीक्षण जैसे किसी वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षण पर आधारित नहीं है। जब यह *ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य* (2012) 5 एससीसी 201 में निर्धारित वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित हो, तो यह पुष्ट पुष्टिकारक मूल्य का होता है। चिकित्सा बोर्ड ने 11.4.2002 को शारीरिक बनावट के आधार पर आयु लगभग 73 वर्ष निर्धारित की थी। यह वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर अभिलेखों में उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के मद्देनजर।

12. इस न्यायालय ने *उड़ीसा राज्य बनाम अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से चौधरी नायक (मृत) एवं अन्य* (2010) 8 एससीसी 796 के माध्यम से ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले अयोग्य उम्मीदवारों पर प्रतिकूल टिप्पणी की है, इस प्रकार:

"9. केंद्र सरकार द्वारा अपने अतिरिक्त शपथपत्र में प्रस्तुत आँकड़ों में यह ध्यान देने योग्य है कि 1,70,813 स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई है (31.5.2010 तक)। वर्तमान में लगभग 60,000 व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी/आश्रितों के रूप में पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी और उसकी मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को मिलने वाली औसत पेंशन 12400 रुपये प्रति माह है और आश्रित अविवाहित पुत्री को मिलने वाली औसत पेंशन 3000 रुपये प्रति माह है। इस योजना के तहत वर्ष 2009-2010 में 785 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। हमने इन आंकड़ों का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया है कि जब झूठे दावे केंद्र सरकार के संज्ञान में आते हैं, तो वह कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होती है। किसी भी योजना के तहत फर्जी दावों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की ओर से कोई भी लापरवाही, अयोग्य उम्मीदवारों द्वारा, जो "अच्छे संपर्क वाले और प्रभावशाली" हैं, सभी योजनाओं के तहत फर्जी दावों को बढ़ावा देगी। वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित लाभों को झूठे दावेदारों द्वारा हथिया लिया जाना कई कल्याणकारी योजनाओं का अभिशाप बन गया है।

10. XX XX XX

11. झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करने वाले फर्जी दावेदारों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देना उतना ही बुरा है जितना कि असली स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन से वंचित करना। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि केवल असली स्वतंत्रता सेनानियों को ही पेंशन मिले। इसका अर्थ है कि सरकार को झूठे और मनगढ़ंत दावों को हटाना चाहिए और दावे की फर्जी प्रकृति सामने आने पर अनुदान रद्द कर देना चाहिए। *भारत संघ बनाम अवतार सिंह* [(2006) 6 एससीसी 493] में इस न्यायालय ने इसलिए चेतावनी दी:

"8.....सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ श्रद्धा, आदर और सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों

के मामले में अपनाए जाने वाले उदार दृष्टिकोण का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें से अधिकांश सामान्यतः सत्तर और अस्सी वर्ष की आयु के होते हैं।"

13. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमें पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। खंडपीठ के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। चूँकि अपीलकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया दावा खारिज करने के बाद उत्तरदाता को गलत तरीके से पेंशन दी गई है, इसलिए उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर जाँच का निर्देश दिया है और इसी आधार पर पेंशन वापस ले ली गई है, और यह भी ध्यान में रखते हुए कि पेंशन प्राप्तकर्ता उत्तरदाता संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है, हम निर्देश देते हैं कि उसे दी गई राशि उसके कानूनी प्रतिनिधियों से वसूल नहीं की जाएगी।

14. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

अपील स्वीकार की गई।

देविका गुजराल

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।